न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 62/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/120

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
"केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड" क्षेत्रीय कार्यालय सेकण्ड फ्लोर प्लॉट नं013 प्रताप नगर खातीपुरा रोड वैशाली नगर जयपुर–302021	बनाम	1. श्री मोहम्मद अकरम बेहलीम पुत्र अकरम रशिद बेहलीम मैसर्स अकरम कोल्ड ड्रिंक एवं डेरी सेन्टर घोडा वास, पिपली चोक तालुका मकराना। 2. श्रीमती मुमताज बेगम पत्नी मोहम्मद अकरम बेहलीम घोडा वास पिपली चोक तालुका मकराना। 3. श्री मोहम्मद मोसिल पुत्र मोहम्मद अकरम बेहलीम घोडा वास पिपली चोक तालुका मकराना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 10.03.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया हैं कि प्रार्थी बैकने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 3300268/–(**अक्षरे तेंतीस लाख दो सौ अडसठ रूपये मात्र) दिनांक 31.03.2022** व रूपये 824689 (आठ लाख चौबीस हजार छः सौ उननबें रूपये मात्र) दिनांक 24.12.2022 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– मोहम्मद अकरम बेहलीम मालिक सम्पति आबादी पट्टा नं0 991 पिपली चोक वार्ड नं0 20 घोडा बास नगर परिषद एवं तहसील मकराना में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा** आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 39.91 वर्ग मीटर है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– स्वयं की दुकान, दक्षिण में :– जलालुदीन की दुकान, पूर्व में:– आम रास्ता, पश्चिम में:– हलीम जी की दुकान, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते [illegible] 30[illegible] को [illegible].पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 31925[illegible]–([illegible] इक्कतीस लाख बरानवें हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व 847801 (आठ [illegible] आठ सौ एक रूपये मात्र) कुल राशि 4040308 (चालीस लाख चालीस हजार तीन सौ [illegible] रूपये मात्र) दिनांक 0[illegible]24 तक शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

देय व दिनांक 08.05.2024 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 14.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 3192507/–(अक्षरे इक्कतीस लाख बरानवें हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व 847801 (आठ लाख सैतालीस हजार आठ सौ एक रूपये मात्र) कुल राशि 4040308 (चालीस लाख चालीस हजार तीन सौ आठ रूपये** मात्र) दिनांक 08.05.2024 तक शेष देय व दिनांक 08.05.2024 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त पत्रावली में लोन स्टेटमेन्ट के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण के विरूद्ध 4040308/– रूपये की राशि बकाया बताये गये। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी द्वारा कितनी राशि का ऋण लिया गया। अप्रार्थी ने ब्याज सहित कितनी राशि जमा करवा दी। उक्त तथ्य से भी न्यायालय हाजा को अवगत नहीं करवाया।

प्रार्थी बैंक की ओर से श्री दीपक सहानी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। श्री दीपक सहानी के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन